नवंबर 2022 ■ वर्ष : 32 ■ अंक : 3 ₹125

सिविल सर्विसेज़

क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

सार्वजनिक नीति एवं कल्याणकारी योजनाएं

- सामाजिक क्षेत्र की पहलें
- आर्थिक विकास की पहलें
- पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी पहलें
- प्रौद्योगिकी विकास संबंधी पहलें

वर्ष 2021–22 में शुरू की गई या चर्चा में रही महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों एवं पहलों का परीक्षोपयोगी संग्रह

साथ में विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाओं की बिन्दुवार प्रस्तुति

प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा विशेष

महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय

विषय विमर्श

स्वयं सहायता समूह

सामाजिक-आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन में भूमिका

सामयिक आलेख

- भारत में सहकारिता : आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण
- जलवायु प्रत्यास्थ कृषि : खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए आवश्यक
- भारत की जैव अर्थव्यवस्था : सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अहम
- मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 : प्रमुख निष्कर्ष तथा भारत के लिए मानव विकास की दिशा
- वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता : कारण एवं निहितार्थ
- एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 : रणनीतिक निहितार्थ एवं महत्व
- कार्बन क्रेडिट व्यापार : वैश्विक स्थिति, लाभ और चुनौतियां
- गैर-संचारी रोग : नियंत्रण के प्रयास एवं भावी कार्यनीति

नवंबर 2022 सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल 1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

नवंबर 2022

❑ वर्ष 32 ❑ अंक 3

इस अंक में

105 सार्वजनिक नीति एवं कल्याणकारी योजनाएं

- सामाजिक क्षेत्र की पहलें
- आर्थिक विकास की पहलें
- पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी पहलें
- प्रौद्योगिकी विकास संबंधी पहलें

सामयिक आलेख

06 जलवायु प्रत्यास्थ कृषि : खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए आवश्यक
09 भारत में सहकारिता : आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण
12 भारत की जैव अर्थव्यवस्था : सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अहम

विषय विमर्श

15 स्वयं सहायता समूह : सामाजिक-आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन में भूमिका

इन फोकस

18 मानव विकास रिपोर्ट 2021-22
20 वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता : कारण एवं निहितार्थ
21 एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 : रणनीतिक निहितार्थ एवं महत्व
23 कार्बन क्रेडिट व्यापार : वैश्विक स्थिति, लाभ और चुनौतियां
25 गैर-संचारी रोग : नियंत्रण के प्रयास एवं भावी कार्यनीति

प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा विशेष 175

■ महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं सांविधिक निकाय

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय 27-39

27 अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
28 सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण
29 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता का परीक्षण
30 जेल संबंधी सुधार का मुद्दा
30 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का प्रयोग चिंताजनक
31 पीएमश्री स्कूल योजना
32 भारत में दुर्घटना-जन्य मृत्यु एवं आत्महत्या पर रिपोर्ट
33 बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी : SRS रिपोर्ट 2020
34 मानव तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि की दर अभी भी कम
35 असम के 8 उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौता
36 गांवों में जल स्तर के मापन हेतु जलदूत ऐप
37 पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
37 दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक
37 राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21
38 मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 8 वर्ष

सामाजिक परिदृश्य 40-47

40 4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
41 LGBTQIA+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध
42 एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू
42 भारत में असमानता पर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट
43 भारतीय शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की स्थिति पर रिपोर्ट
44 युवा 2.0 योजना का शुभारंभ
44 इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाएं (WEST) पहल
45 केंद्र का स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 1.28%
46 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष
47 यूजीसी का ई-समाधान पोर्टल

विरासत एवं संस्कृति 48-52

48 आचार्य विनोबा भावे
49 वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई
49 वैश्विक पुरातात्विक धरोहर 'मोहनजोदड़ो' के समक्ष संकट
50 26 बौद्ध गुफाओं की खोज
50 केदारनाथ मंदिर
51 यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज
51 नुआ खाई उत्सव
52 बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस

52 बथुकम्मा उत्सव
52 14वीं सदी की तलवार की वापसी

आर्थिक परिदृश्य 53-63

53 आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022
54 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022
56 भारत के विदेशी ऋण पर स्थिति रिपोर्ट 2021-22
56 बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना
57 देश की बेरोजगारी दर में गिरावट
58 भारत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
59 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मकता रोडमैप
60 गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख समिति
60 प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल
61 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 26वीं बैठक
62 सतत पहल
62 विंडफॉल टैक्स
62 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
62 उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी पर दामोदरन समिति
63 सबसे लंबा रबर बांध

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 64-73

64 हिंद-प्रशांत आर्थिक मंच की मंत्री स्तरीय बैठक
65 भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद
66 भारत-बांग्लादेश कुशियारा नदी समझौता
66 भारत-UAE संयुक्त आयोग की बैठक
67 भारतीय विदेश मंत्री की सऊदी अरब यात्रा
68 श्रीलंका और आईएमएफ के मध्य ऋण समझौता
69 परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि
70 जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट
70 विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22: आईएलओ
71 शिनजियांग में मानवता के खिलाफ अपराध
72 7वां पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक
73 विकास सहयोग पर नीति-बीएमजेड वार्ता
73 इंडो-पैसिफिक त्रिपक्षीय ढांचा
73 गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स से भारत-चीन के सेनाओं की वापसी

पर्यावरण एवं जैव विविधता 74-83

74 शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हेतु निवेश की आवश्यकता
75 'ट्रिपल-डिप' ला नीना
75 बायो-एनर्जी पर IRENA रिपोर्ट
76 जलवायु वार्षिक स्थिति रिपोर्ट
77 महासागरों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि
78 स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस
79 रेड इयर्ड स्लाइडर कछुआ
79 जलवायु क्षतिपूर्ति (Climate Reparation) की मांग
80 थर्मल पावर प्लांट के लिए मानदंडों का विस्तार
81 ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप
81 जिज्ञासा 2.0
82 विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022
82 स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम
82 समुद्री खीरा फर्म एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र
82 मिशन अमृत सरोवर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 84-93

84 इसरो की हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली
85 इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर
85 मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट
86 स्टेल्थ फ्रीगेट 'तारागिरि'
86 क्यूआर-सैम मिसाइल परीक्षण
87 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) 2022
88 भारत और यूके के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास
89 नैनो यूरिया का व्यावसायिक उपयोग
90 रक्त कैंसर के इलाज के लिए CAR-T प्रौद्योगिकी
90 प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
91 डार्क स्काई रिजर्व
92 साइबोर्ग कॉकरोच
92 प्रोजेक्ट-75 इंडिया
92 लीजियोनेलोसिस रोग
92 विकिरण रोधी गोलियां

लघु संचिका 94-98

राज्यनामा.....99-100

खेल परिदृश्य.....101-104

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

जलवायु प्रत्यास्थ कृषि

खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

वैश्विक स्तर पर जलवायु एवं मौसम परिवर्तनशील हो रहा है, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, कभी अत्यधिक ठंड तो कभी भीषण गर्मी। यह जलवायवीय अनिश्चितता संपूर्ण मानव समुदाय के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। ऐसे में सर्वाधिक विकराल समस्या जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली खाद्य असुरक्षा की है। परिवर्तनशील जलवायु को देखते हुए अब कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन वर्तमान समय की मांग है। ऐसे में 'जलवायु प्रत्यास्थ कृषि' (Climate Resilient Agriculture) जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले खाद्य असुरक्षा के संकट का एक समाधान हो सकती है।

भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य है। सरकार का एक अध्ययन बताता है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप कृषि आय में 15-18% की कमी तथा गैर-सिंचित क्षेत्रों में 20-25% तक की कमी आ सकती है। कृषि, भारत को खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, आज भी 60% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में कृषि सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा समानुपातिक रूप से संबद्ध हैं। ऐसे में भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या की खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण मुद्दा है।

* हमें जलवायु चुनौतियों एवं खाद्य संकट से निपटने के लिए जलवायु प्रत्यास्थ कृषि पद्धतियों (Climate Resilient Farming Practices) को अपनाना होगा तथा कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के साथ जीवन के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना होगा एवं आर्थिक विकास की ऐसी रणनीति को अपनाना होगा, जिनसे देश का विकास भी अवरुद्ध न हो एवं कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) भी काबू में रहे।

जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर प्रभाव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के लगभग 310 जिले 'हाई रिस्क जोन' में आते हैं। इससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कृषि है। जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि को निम्न रूप से प्रभावित कर सकता है:

* **उपज पर प्रभाव:** अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक औसत उपज में 3% से 10% तक की गिरावट आ सकती है। 1°C तापमान बढ़ने से गेहूं, मक्का एवं चावल जैसी फसलों में कमी आ सकती है।
* **मानसून पर प्रभाव:** आईपीसीसी (IPCC) की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि मानसूनी वर्षा में लगभग 5% की वृद्धि करेगी, जो भारतीय कृषि एवं खाद्य सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इससे मक्का एवं सोयाबीन जैसी रबी की फसलें अधिक प्रभावित होंगी।
* **कीट एवं रोगों पर प्रभाव:** अधिक तापमान कीटों के तीव्र प्रजनन दर को बढ़ावा देता है। इससे कृषि क्षेत्र में नवीन रोगों की उत्पत्ति को बढ़ावा मिल सकता है, जो अंततः कृषि की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा; जैसे पश्चिमोत्तर भारत में फाल आर्मी वर्म (Fall Armyworm) एवं टिड्डी के हमलों को देखा जा सकता है।
* **मृदा पर प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन, मृदा में होने वाली कार्बनिक प्रक्रियाओं एवं जल के संतुलन को प्रभावित करता है। मृदा में जल असंतुलन के कारण शुष्कता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सिंचाई के लिए जल की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है।
* **अनाज की पोषण गुणवत्ता पर प्रभाव:** वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पौधों में प्रोटीन की कमी को बढ़ावा देती है। इससे पौधों में आयरन एवं जिंक जैसे पोषक तत्वों में कमी आती है, जो 'छिपी हुई भूख' (Hidden Hunger) की समस्या को बढ़ा रही है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किए गए प्रयोगों से पता चला है कि गेहूं, चावल, मक्का, मटर और सोयाबीन, जब उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के प्रभाव में आते हैं तो उनमें आयरन, जिंक और प्रोटीन की मात्रा में कमी आ जाती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा की समस्या

अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute) द्वारा जारी एक अध्ययन का अनुमान है कि कृषि उत्पादन में गिरावट और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण वर्ष 2030 तक लगभग 73.9 मिलियन भारतीयों को भूखा रहना पड़ सकता है, यदि इसमें जलवायु प्रभावों को शामिल किया जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर 90.6 मिलियन हो जाएगा।

* जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी चार आयामों- खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य उपयोग एवं खाद्य स्थिरता प्रणाली को प्रभावित करेगा। तापमान वृद्धि से गेहूं, आलू जैसी फसलें प्रभावित होंगी, इससे खाद्य असुरक्षा अत्यंत विकराल रूप ले सकती है।
* यूएनईपी (UNEP) द्वारा प्रकाशित 'उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020' (Emission Gap Report 2020) के अनुसार यदि तापमान वृद्धि की दर इसी प्रकार जारी रही तो सदी के अंत तक यह 3.2°C से अधिक के तापमान वृद्धि का कारण बनेगी, जिसके चलते खाद्य उत्पादन में 31% तथा पशु उत्पादों में 34% की गिरावट आ सकती है।

भारत में सहकारिता

आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण

• नवीन चंदन

महात्मा गांधी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता को सबसे उपयुक्त मॉडल माना है, जो परस्पर सहयोग पर आधारित होता है न कि प्रतिस्पर्धा पर। ऐसे में सहकारिता को बढ़ावा देने का प्रयास भारत के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसी के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में नई सहकारिता नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने हेतु 47 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है।

सहकारी संघों का स्वरूप एवं संगठन तथा लोकतांत्रिक एवं आर्थिक अभिविन्यास विशिष्ट होता है। साथ ही ये सतत एवं समावेशी विकास, सामाजिक एकीकरण तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। सहकारी संघों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने तथा "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को सशक्त करने के लिए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 47 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जो नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह नई नीति अपनी पूववर्ती नीति का स्थान लेगी जो वर्ष 2002 में लागू की गई थी। नई सहकारी नीति की आवश्यकता को हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि यह क्षेत्र 13.3% प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करता है तथा 10.91% स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है।

* सहकारी समितियां सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ आय वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो लगभग 29 करोड़ सदस्यों के साथ संपूर्ण देश में विस्तारित हैं। भारत में वृहद स्तर पर सहकारी समितियां दो क्षेत्रों में विद्यमान है- साख क्षेत्र (क्रेडिट) एवं गैर साख (नान-क्रेडिट) क्षेत्र। सहकारी समितियां कृषि प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, आवासन एवं विपणन के क्षेत्र में सक्रिय है; सर्वाधिक सक्रिय सहकारी समितियां आवास एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में हैं, जिनका प्रतिशत क्रमशः 17.83 तथा 17.79 है, वहीं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.5% सहकारी समितियां विद्यमान हैं। सहकारिता की भूमिका अब परम्परागत गतिविधियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के नए आर्थिक उद्यमों तक विस्तारित हो रही है।

मुद्दे, चुनौतियां एवं समाधान

सहकारी समितियां बड़ी संख्या में जनमानस तक पहुंच रखती हैं तथा स्वतंत्रता के बाद इनमें तीव्र विकास भी हुआ है; इसके बावजूद अभी भी ये अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकी हैं, जो इनकी प्रभाविता पर कई प्रश्न खड़े करता है। निम्नलिखित मुद्दों एवं चुनौतियों के आलोक में हम समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं-

सरकारी हस्तक्षेप

* यद्यपि सरकार सहकारी समितियों को ऋण एवं प्रचालन की सुविधाएं प्रदान करती है, किन्तु जटिल विनियमन के कारण सरकार इसके कार्य संचालन को नियंत्रित भी करती है, जिससे सहकारी समितियों के कार्य संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इन संघों की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता केवल कागजों तक सीमित है।
* हम अमूल, कृभको, इफ्को (IFFCO) जैसी सफल सहकारी समितियों को देख सकते हैं, जो सरकारी नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए सरकार इनके संबंध में नियंत्रक के स्थान पर संरक्षक की भूमिका में आना होगा, तभी सहकारी समितियों से लाल फीताशाही को समाप्त किया जा सकता है।

सीमित पूंजी

* सहकारी समितियों के संसाधन सदस्यों की पूंजी से बनते हैं तथा सदस्यों के साधन सीमित होते हैं। साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में बड़ी संख्या में इन संघों के निष्क्रिय पड़े रहने के कारण कई सदस्य इनमें पूंजी निवेश करने से डरते हैं।
* इस संबंध में मेहता समिति 'एक ग्राम एक सहकारी संघ' का सुझाव देती है, जिसका आशय है कि कमजोर एवं निष्पादन न करने वाले संघों का विलय बड़े एवं सफल संघों में करना चाहिए, जिससे संघ के आकार के साथ पूंजी में भी वृद्धि होगी, फलस्वरूप सदस्यों को लाभांश पर ऊंची दर प्राप्त हो सकेगी।

प्रबंधन एवं कार्यात्मक प्रचालन की समस्या

* सहकारी समितियों के प्रबंधन के चुनाव में बड़े किसानों का बोलबाला होता है, जो मात्र अपना लाभ देखते हैं, इसके अलावा इनका कार्यात्मक प्रचालन भी इन्हीं किसानों के माध्यम से होता है, जो प्रबंधन की बारीकियों से अनभिज्ञ होते हैं।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था

सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अहम

• संपादकीय डेस्क

सतत विकास, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान है, जिसे अपनाया जाना एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैव अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अनुकूल विकास के साथ ही सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में भी मदद कर सकती है। भारत में जैव अर्थव्यवस्था के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। वर्ष 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मौद्रिक मूल्य 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जिसके वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (Biotechnology Industry Research Assistance Council - BIRAC) द्वारा इंडिया बायो-इकोनॉमी रिपोर्ट (India Bioeconomy Report), 2022 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2025 में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की संभावना है।

* जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से देश के समग्र आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इसमें भोजन तथा जल उपलब्धता, जीवाश्म ईंधन संकट और जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं को हल करने की क्षमता है।

जैव अर्थव्यवस्था क्या है?

* जैव-अर्थव्यवस्था या जैव-आधारित अर्थव्यवस्था (Biobased Economy) से तात्पर्य भोजन, ऊर्जा, उत्पादों और सेवाओं के लिए अक्षय जैविक संसाधनों (Renewable Biological Resources) के सतत उपयोग से है। जैव-आधारित अर्थव्यवस्था में जैविक कचरे और अवशिष्ट पदार्थों के दोहन पर विशेष बल दिया जाता है।
* 2020 में बर्लिन में आयोजित ग्लोबल बायो-इकोनॉमी समिट (Global Bioeconomy Summit) के दौरान जैव अर्थव्यवस्था को पारिभाषित करने का प्रयास किया गया था। इसके अनुसार जैव-अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग, संरक्षण और पुनर्जनन (Regeneration) इस प्रकार से किया जाता है कि व्यक्तियों को धारणीय समाधान (Sustainable Solutions) प्रदान किया जा सके और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक सतत अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सके।
* बढ़ती जनसंख्या, उपभोक्तावाद, ऊर्जा और वस्तुओं की मांग, बढ़ता अपशिष्ट उत्पादन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे आदि कुछ प्रमुख चालक हैं, जो जैव-अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं।

भारत की जैव अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

✓ **सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और योगदान**

- वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.6 प्रतिशत हिस्सा जैव-अर्थव्यवस्था का था।
- वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ भारत, दक्षिण एशिया में शीर्ष 3 और वैश्विक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है।

✓ **जैव अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान**

- **बायो फार्मा (Bio-Pharma):** बायो-फार्मा, भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला खंड है, जिसका कुल मूल्य में 49 प्रतिशत का हिस्सा है। बायो-फार्मा के अंतर्गत टीकों की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत, थेरेप्यूटिक्स की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और डायग्नोस्टिक्स की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत थी।
- **जैव कृषि (Bio Agriculture):** वर्ष 2021 में देश की जैव-अर्थव्यवस्था में जैव-कृषि ने 10.48 बिलियन डॉलर का योगदान दिया। बीटी कपास, कुल जैव-कृषि आर्थिक मूल्य का 92% हिस्सा कवर करता है।
- **जैव औद्योगिक (Bio Industrial):** 2021 में, जैव औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था। पिछले वर्ष के मुकाबले औद्योगिक एंजाइम ने वर्ष 2021 में 65.7 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जबकि जैव ईंधन उप-खंड ने इसी अवधि में 138.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की।

✓ **भारत की जैव अर्थव्यवस्था के लिए निवेश**

- बायोटेक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 में 780 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 830 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
- 2021 में बायोटेक उद्योग (Biotech Industry) द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर होने वाला खर्च 2020 के 360 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.02 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।

✓ **बायो इन्फ्रा (Bio-infra)**

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 74 विशिष्ट जैव-ऊष्मायन केंद्रों (Bio-incubators) का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है।
- भारत में यूएस के बाहर यूएसएफडीए-अनुमोदित (USFDA-approved) विनिर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।

विषय विमर्श

स्वयं सहायता समूह

सामाजिक–आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन में भूमिका

❑ डॉ. अमरजीत भार्गव

स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्तीय साक्षरता, बैंक खातों के संचालन, बचत, क्रेडिट, बीमा तथा पेंशन के साथ-साथ गरीबों को कम लागत वाली भरोसेमंद वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वित्तीय समावेशन तथा समाज के वंचित वर्गों के विकास में भागीदारी को देखते हुए यह आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करके इनकी विकास संभावनाओं में वृद्धि की जाए।

सितंबर 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से 'दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की छत्रछाया से छूटी हुई महिलाओं को शामिल करने में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की।

- सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 अगस्त, 2022 तक इस योजना (DAY-NRLM) के तहत 8.5 करोड़ से अधिक परिवारों को 78.33 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है।
- भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1970 के दशक में देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करने तथा वंचित एवं कमजोर वर्गों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 1970 में स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA) के गठन के साथ भारत में स्वयं सहायता समूहों की स्थापना आरंभ हुई। समय के साथ इन समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों की कार्य प्रणाली के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विकास एवं वित्तीय समावेशन में इनकी भूमिका का विश्लेषण किया जाए।

स्वयं सहायता समूह क्या हैं?

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups-SHGs) समान समस्याओं का सामना करने वाले लोगों के अनौपचारिक समूह होते हैं। इनमें से अधिकांश लोग समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं तथा छोटी-छोटी बचतों के माध्यम से इनके द्वारा स्व-रोजगार को बढ़ावा देने, गरीबी को दूर करने, सामाजिक स्थिति में सुधार करने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं।

- छोटी-छोटी बचतों द्वारा एकत्रित धन इन समूहों के लिए निधि के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग इसके सदस्यों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- शिक्षा अथवा कौशल की आवश्यकता वाला कोई भी स्थानीय व्यक्ति स्वयं सहायता समूह को स्थापित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सामान्य रूप से 'एनिमेटर' (Animator) अथवा 'सुविधाकर्ता' (Facilitator) कहा जाता है।
- सुविधाकर्ता के प्रमुख कार्यों में स्वयं सहायता समूह के लाभों की व्याख्या करना, उसकी आरंभिक बैठकों को आयोजित करने में सहायता करना तथा समूह के लोगों को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- समान समस्याओं का सामना करने वाले इस प्रकार के समूहों को गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों तथा उपलब्ध स्थानीय बैंकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

स्वयं सहायता समूहों की सीमाएं एवं चुनौतियां

- **सरकार और गैर-सरकारी संगठनों पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत के विभिन्न भागों में कार्यरत अनेक SHGs अपने अस्तित्व के लिए प्रमोटर एजेंसियों, सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर हैं।
  - इन समर्थक संस्थानों एवं एजेंसियों द्वारा समर्थन वापस ले जाने की स्थिति में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय संकट एवं प्रबंधन संबंधी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **योग्य सुविधाकर्ताओं की कमी:** स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा इनकी बैठकों के आयोजन के संबंध में सुविधाकर्ताओं के पास उपयुक्त पेशेवर प्रशिक्षण नहीं होता। सरकारी दिशानिर्देशों तथा अन्य सूचनाओं के अभाव में गठन के तुरंत बाद इन्हें संचालन संबंधी अनेक विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है।
- **कौशल उन्नयन का अभाव:** अधिकांश स्वयं सहायता समूह नए तकनीकी नवाचारों तथा कौशल उपयोग में अक्षम हैं। नई तकनीकों के संबंध में सीमित जागरूकता और नवाचारों का उपयोग करने के लिए समूहों के पास आवश्यक कौशल की कमी इनकी अक्षमता के प्रमुख कारण हैं।

in फोकस

- मानव विकास रिपोर्ट 2021–22
- वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता : कारण एवं निहितार्थ
- एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 : रणनीतिक निहितार्थ एवं महत्व
- कार्बन क्रेडिट व्यापार : वैश्विक स्थिति, लाभ और चुनौतियां
- गैर–संचारी रोग : नियंत्रण के प्रयास एवं भावी कार्यनीति

मानव विकास रिपोर्ट 2021–22

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा 8 सितंबर, 2022 को मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 (Human Development Report 2021-22) जारी की गई।

- रिपोर्ट के अंतर्गत जारी मानव विकास सूचकांक (HDI) 2021 में भारत ने कुल 191 देशों में से 132वां स्थान प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2020 के सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर था।
- **मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की थीम:** अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन : एक बदलती दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना (Uncertain Times, Unsettled Lives : Shaping our Future in a Transforming World)।
- अवगत करा दें कि मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2021-22 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक (HDI) 2021 के अतिरिक्त लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे कई अन्य सूचकांक भी जारी किये गए।

एचडीआई 2021 के मुख्य बिंदु

मानव विकास सूचकांक 2021 में स्विटजरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, हॉन्गकॉन्ग और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रकोप, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और जलवायु संकट ने 90 प्रतिशत देशों के मानव विकास सूचकांक पर असर डाला है। भारत का एचडीआई मान भी इन विश्वव्यापी कारकों से प्रभावित हुआ।
- भारत का 0.6333 का एचडीआई मान देश को 'मध्यम मानव विकास श्रेणी' (Medium Human Development Category) में रखता है, जो 2020 की रिपोर्ट में इसके 0.645 के मान से कम है।
- पहली बार लगातार दो साल तक भारत के HDI मान में गिरावट दर्ज की गई है; इसे वैश्विक स्तर पर गिरावट के अनुरूप बताया गया है। मौजूदा रैंकिंग के संबंध में यूएनडीपी का कहना है कि 32 वर्षों में पहली बार दुनियाभर में मानव विकास ठहर सा गया है।
- सूचकांक में भारत की रैंकिंग में गिरावट के लिए जीवन प्रत्याशा में कमी (69.7 से घटकर 67.2 वर्ष होने) को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- भारत में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (expected years of schooling) 11.9 तथा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (mean years of schooling) 6.7 हैं। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 6,590 डॉलर है।
- इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 73वां, चीन को 79वां, भूटान को 127वां, बांग्लादेश को 129वां, नेपाल को 143वां तथा पाकिस्तान को 161वां स्थान प्राप्त हुआ।

मानव विकास सूचकांक (HDI) क्या है?

एचडीआई, मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों में किसी देश की प्रगति का मापन करता है। ये तीन आयाम हैं: 1. एक लंबा और स्वस्थ जीवन (long and healthy life), 2. शिक्षा तक पहुंच (access to education) तथा 3. एक सभ्य जीवन स्तर (decent standard of living)।

इसकी गणना निम्नलिखित चार संकेतकों का उपयोग करके की जाती है-

1. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (life expectancy at birth) [SDG 3],
2. स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (expected years of schooling) [SDG 4.3]
3. स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (mean years of schooling) [SDG 4.4], और
4. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income per capita) [SDG 8.5]।

एचडीआर 2021–22 में जारी अन्य प्रमुख सूचकांक

✓ **असमानता-समायोजित एचडीआई (IHDI) 2021**

- यह सूचकांक (Inequality-adjusted HDI 2021) स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में किसी देश की औसत उपलब्धियों के परे जाकर दर्शाता है कि इन उपलब्धियों का वितरण उस देश के निवासियों के बीच किस प्रकार किया गया है।
- आईएचडीआई को मानव विकास के वास्तविक स्तर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

In फोकस

वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता

कारण एवं निहितार्थ

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा विश्व अनिश्चितता सूचकांक (World Uncertainty Index) जारी किया गया, जिसमें रूस-युक्रेन युद्ध को वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ाने वाला कारक माना गया है। इस सूचकांक के अनुसार, पिछले 60 वर्षों की तुलना में पिछले दशक में अनिश्चितता अधिक रही है।

- 2 सितंबर, 2022 को G7 देशों द्वारा रूस से आयात होने वाले तेल एवं तेल उत्पादों (oil and oil products) की खरीद पर मूल्य सीमा (price cap on purchase) लागू करने पर सहमति बनी है। G7 देशों के द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम का उद्देश्य वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति को बनाए रखने के साथ ही, रूस को तेल की बिक्री से होने वाले राजस्व में कटौती करना है, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके तथा युद्ध के प्रयास को हतोत्साहित किया जा सके।
- इससे पूर्व अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा रूस से आयात होने वाली विभिन्न वस्तुओं पर एकतरफा प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही इन देशों द्वारा भारत सहित अन्य देशों को रूस से प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का दबाव बनाया गया।
- इस प्रकार के एकतरफा प्रतिबंध वर्तमान वैश्विक व्यापार व्यवस्था (Global Trade Order) पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं तथा वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता को दर्शाते हैं।

भारत का रुख

भारत सरकार का इन मुद्दों पर स्पष्ट रुख है तथा भारत किसी भी प्रकार के एकतरफा प्रतिबंध को स्वीकृति नहीं देता है। भारत किसी देश या संस्था पर लगाए गए प्रतिबंध को तभी मान्यता देता है, जब व प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र (UN) के तत्वाधान में लगाया जाए।

- अपनी इस नीति का पालन करते हुए वर्तमान में भारत, रूस से कच्चे तेल, उर्वरक आदि विविध वस्तुओं का आयात कर रहा है।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अनिश्चितता के कारण

- **विश्व व्यापार नियामक संस्थानों का कमजोर होना:** वर्ष 1995 से मुख्य रूप से WTO ही वैश्विक व्यापार व्यवस्था की अगुवाई करता आ रहा है, परन्तु हाल के वर्षों में शक्तिशाली देशों द्वारा एकतरफा रूप से प्रतिबंध लगाने से सम्पूर्ण विश्व व्यापार व्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है।
  - वर्तमान वैश्विक व्यापार से संबंधित वैश्विक संस्थाएं इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि अपने किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र को दंडित कर सकें।
- **व्यापार युद्ध:** वर्तमान में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार युद्ध विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है। इसका सबसे स्पष्ट रूप अमेरिका तथा चीन के मध्य देखा जा सकता है। दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे से व्यापार पर प्रतिबंध लगाए गए।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना:** वर्तमान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। वर्ष 2019 में चीन से सार्स कोव-2 महामारी के मामले सामने आने तथा इसके वैश्विक प्रसार के कारण सम्पूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
  - भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में बार-बार लॉकडाउन के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई। COVID-19 के प्रति चीन की शून्य-सहिष्णुता नीति ने भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया।
- **घरेलू उद्योग को संरक्षण तथा प्राथमिकता:** वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के पश्चात से ही वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है।
  - यहां तक कि वैश्वीकरण तथा नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के समर्थक देशों, जैसे अमेरिका तथा यूरोपीय देशों द्वारा भी विभिन्न सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी (Sanitary and Phyto-sanitary) प्रावधानों का प्रयोग कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कमजोर किया जा रहा है।

निहितार्थ

- **बहुपक्षवाद की जगह द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा:** महामारी से पूर्व ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) जैसे बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति विभिन्न देशों का झुकाव था। हालांकि वर्ष 2017 में टीपीपी से यूएसए और 2019 में आरसीईपी से भारत की वापसी ने इन दोनों व्यापार साझेदारियों के संयुक्त बाजार आकार को काफी कम कर दिया है।
  - महामारी के बाद, अब देशों का ध्यान मुख्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संधियों की ओर स्थानांतरित हो गया है। इसका एक अन्य कारण पिछले दो वर्षों में हुए भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलाव भी हैं।
- **भारत के लिए अवसर:** अमेरिका तथा पश्चिमी देश, चीन पर विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्भरता को क्रमिक रूप से कम करना चाहते हैं। भारत, बहुलवाद, लोकतंत्र और उदारवादी देश है, जहां मानवीय मूल्य पश्चिमी देशों के समान हैं।
  - भारत, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्रदान करके चीन से बाहर जाने वाले उद्यमों को भारत में आने के लिए आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा वित्त तक लोगों की पहुँच, आधारभूत संरचना विकास जैसे उपायों से विविध अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है।
- **वैश्विक संस्थानों का महत्वहीन होना:** अमेरिका सहित बड़ी

न्यायपालिका
- अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण
- 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता का परीक्षण

राजव्यवस्था एवं शासन
- जेल संबंधी सुधार का मुद्दा
- आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का प्रयोग चिंताजनक

योजना एवं कार्यक्रम
- पीएमश्री स्कूल योजना

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- भारत में दुर्घटना-जन्य मृत्यु एवं आत्महत्या पर रिपोर्ट
- बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी : SRS रिपोर्ट 2020
- मानव तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि की दर अभी भी कम

राष्ट्रीय सुरक्षा
- असम के 8 उग्रवादी गुटों के साथ शांति समझौता

संक्षिप्तिकी
- गांवों में जल स्तर के मापन हेतु जलदूत ऐप
- पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक
- राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 8 वर्ष

न्यूज ब्रीफ्स

न्यायपालिका

अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर, 2022 को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह की अवधि तक गर्भपात कराने की हकदार हैं तथा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के तहत वैवाहिक स्थिति के आधार पर कोई भेद करना असंवैधानिक है।

- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं तथा किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे गर्भपात कराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती।
- अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में वर्ष 2021 में किया गया संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता है।

मामला क्या था?

एक अविवाहित महिला द्वारा अपनी 23 सप्ताह, 5 दिन की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की गई थी।

- उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उसे अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि सहमति से उत्पन्न गर्भावस्था की स्थिति वाली अविवाहित महिलाओं का उल्लेख 'गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन नियम, 2003' के तहत किसी भी खंड में नहीं किया गया है।
- इसके बाद महिला ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 21 जुलाई, 2022 को पारित एक अंतरिम आदेश में उसे एम्स दिल्ली द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के अधीन गर्भपात कराने की अनुमति दी।

मामले में कानूनी प्रश्न

- यह मुद्दा इस बात से संबंधित है कि क्या आपसी सहमति से उत्पन्न गर्भावस्था की स्थिति में किसी अविवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स के नियम 3बी से बाहर रखा जाना वैध है?
- नियम 3बी में उन महिलाओं की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी गर्भावस्था 20-24 सप्ताह की अवधि में समाप्त की जा सकती है।

निर्णय के प्रमुख बिंदु

- **प्रजनन अधिकार, शारीरिक स्वायत्तता का अभिन्न अंग:** गर्भधारण के पश्चात भ्रूण, महिला के शरीर पर निर्भर करता है। इसलिए गर्भावस्था समाप्त करने का निर्णय, उस महिला के 'शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार' (Right of Bodily Autonomy) में दृढ़ता से निहित है।
  - यदि राज्य, किसी महिला को अवांछित गर्भ धारण करने के लिए मजबूर करता है, तो यह उसकी गरिमा का अपमान होगा।
- **अविवाहित महिलाओं को प्रजनन स्वायत्तता से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन:** शीर्ष अदालत ने कहा कि अविवाहित

सामाजिक परिदृश्य

अति संवेदनशील वर्ग

- 4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल
- LGBTQIA+ समुदाय के लिए कन्वर्जन थेरेपी पर प्रतिबंध

सामाजिक मुद्दे

- एडॉप्शन की प्रक्रिया से संबंधित नए नियम लागू

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- भारत में असमानता पर ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट
- भारतीय शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की स्थिति पर रिपोर्ट

कार्यक्रम एवं पहल

- युवा 2.0 योजना का शुभारंभ
- इंजीनियरिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाएं (WEST) पहल

स्वास्थ्य

- केंद्र का स्वास्थ्य देखभाल खर्च GDP का मात्र 1.28%

संक्षिप्तिकी

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष
- यूजीसी का ई-समाधान पोर्टल

न्यूज बुलेट्स

- ओडिशा में जनजातियों का इनसाइक्लोपीडिया
- राष्ट्रीय एससी-एसटी हब कॉन्क्लेव

अति संवेदनशील वर्ग

4 नई जनजातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल

14 सितंबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियों की सूची' (List of Scheduled Tribes) में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रकार अब ये जनजातियां भी आरक्षण सहित अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले अन्य लाभ ले सकेंगी।

- ये जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से संबंधित हैं। इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग दशकों से लंबित थी।

मुख्य बिंदु

- हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र (Trans-Giri area) की 'हट्टी जनजाति' (Hatti tribe), तमिलनाडु की 'नारिकोरावन व कुरीविक्करन जनजाति' (Narikoravan and Kurivikkaran tribes) तथा छत्तीसगढ़ की 'बिंझिया जनजाति' (Binjhia tribe) को इस सूची में जोड़ा गया है।
- अभी तक ये जनजातियां झारखंड और ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध थीं, परन्तु छत्तीसगढ़ में सूचीबद्ध नहीं थीं।
- इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय को भी अनुसूचित जाति सूची (SC list) से अनुसूचित जनजाति सूची (ST list) के तहत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- इसके अंतर्गत गोंड समुदाय की पांच उपश्रेणियां (धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड) भी शामिल हैं।

नई जोड़ी गई जनजातियों के बारे में

✓ **हिमाचल प्रदेश की हट्टी जनजाति**

- हट्टी (Hatti) एक घनिष्ठता वाला समुदाय है, जो कस्बों में लगने वाले 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है।
- हट्टी समुदाय के पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं।
- हट्टी लोग 'खुंबली' (Khumbli) नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होते हैं, जो सामुदायिक मामलों का फैसला करती है।
- भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्ति को कोई चुनौती नहीं मिली है।
- हट्टी जनजाति द्वारा लगभग 50 वर्षों से एसटी लिस्ट में शामिल होने की मांग की जा रही थी।

✓ **तमिलनाडु की नारिकोरावन और कुरीविक्करन जनजाति**

- नारिकोरावन (Narikoravan) भारतीय राज्य तमिलनाडु का एक देशज समुदाय है।
- भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत 'आपराधिक जनजाति' घोषित किया गया था।

विरासत एवं संस्कृति

मंदिर एवं स्थापत्य
- 26 बौद्ध गुफाओं की खोज
- केदारनाथ मंदिर

विरासत
- यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज

पर्व एवं उत्सव
- नुआ खाई उत्सव

संक्षिप्तिकी
- बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस
- बथुकम्मा उत्सव
- 14वीं सदी की तलवार की वापसी

न्यूज बुलेट्स

व्यक्तित्व
- आचार्य विनोबा भावे
- वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई

पुरातात्विक साक्ष्य
- वैश्विक पुरातात्विक धरोहर 'मोहनजोदड़ो' के समक्ष संकट

व्यक्तित्व

आचार्य विनोबा भावे

11 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आचार्य विनोबा भावे एक अहिंसक कार्यकर्ता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे।

प्रारंभिक जीवन

- विनोभा भावे का जन्म 11 सितंबर, 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड़ा गांव (Gagoda Village) में हुआ था। इनका मूल नाम 'विनायक नरहरि भावे' था।

गांधी जी के साथ संबंध

- वर्ष 1916 से पूर्व विनोबा भावे ने गांधी जी के साथ पत्राचार शुरू किया, गांधी जी ने विनोबा भावे से प्रभावित होकर उन्हें अहमदाबाद के 'कोचराब आश्रम' में आमंत्रित किया। विनोबा ने 7 जून, 1916 को गांधी जी से मुलाकात की और आश्रम में निवास किया। विनोबा नाम उन्हें आश्रम के एक अन्य सदस्य मामा फड़के द्वारा प्रदान किया गया था।
- विनोबा, महात्मा गांधी के सिद्धांतों और विचारधाराओं के प्रति आकर्षित थे और वे गांधी जी को राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से अपना गुरु मानते थे।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- उनकी राजनीतिक विचारधारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण असहयोग के सिद्धांतों से निर्देशित थी। उन्होंने गांधी जी द्वारा शुरू किये गये सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया।
- महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विनोबा भावे भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग के कार्यक्रमों और विशेष रूप से विदेशी आयात के बजाय स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के आह्वान में भाग लिया।
- उन्होंने खादी को बढ़ावा देने हेतु चरखा उठाया और दूसरों से ऐसा करने का आग्रह किया।
- 1932 में विनोबा भावे पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए, सरकार ने उन्हें 6 महीने के लिए धूलिया जेल भेज दिया।
- महात्मा गांधी ने 5 अक्टूबर, 1940 को एक बयान जारी कर उनका परिचय राष्ट्र से कराया। गांधी द्वारा उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में भी चुना गया था।

सामाजिक कार्य

- विनोबा भावे ने असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में अथक प्रयास किया।
- गांधी जी द्वारा स्थापित उदाहरणों से प्रभावित होकर, उन्होंने हरिजन लोगों का मुद्दा उठाया।
- उन्होंने महात्मा गांधी से सर्वोदय शब्द अपनाया, जिसका अर्थ है 'सभी के लिए प्रगति'।
- उनके अधीन सर्वोदय आंदोलन ने 1950 के दशक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया, जिनमें से प्रमुख भूदान आंदोलन है।

भूदान आंदोलन

- वर्ष 1951 में विनोबा भावे ने तेलंगाना के हिंसाग्रस्त क्षेत्र से पैदल अपनी शांति-यात्रा शुरू की।
- 18 अप्रैल, 1951 को पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने उनसे लगभग 80 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022
- भारत के विदेशी ऋण पर स्थिति रिपोर्ट 2021-22

योजना एवं पहल

- बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना

गरीबी एवं रोजगार

- देश की बेरोजगारी दर में गिरावट

अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी

- भारत, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्द्धात्मकता रोडमैप

समिति एवं आयोग

- गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिख समिति

बजट एवं करारोपण

- प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल

वित्तीय संस्थान एवं निकाय

- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 26वीं बैठक

संक्षिप्तिकी

- सतत पहल
- विंडफॉल टैक्स
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- उद्यम पूंजी/निजी इक्विटी पर दामोदरन समिति
- सबसे लंबा रबर बांध

न्यूज बुलेट्स

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट (IDF World Dairy Summit) 2022 का उद्घाटन किया गया। इससे पूर्व भारत में यह डेयरी शिखर सम्मेलन वर्ष 1974 में आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मलेन से संबंधित मुख्य तथ्य

इस वर्ष की थीम "पोषण और आजीविका के लिए डेयरी" (Dairy for Nutrition and Livelihood) है।

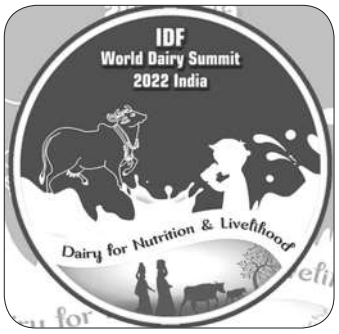

- आधुनिक तकनीक की मदद से 'एनिमल बेस' योजना (Animal Base Scheme) के तहत पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान प्रदान की जा रही है।
- भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस बना रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हर जानवर को टैग किया जा रहा है।
- पिछले 5-6 वर्षों में कृषि और डेयरी क्षेत्र में 1,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं।
- भारतीय डेयरी उद्योग वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 23 प्रतिशत हिस्सा बनाता है।
- भारत हर वर्ष लगभग 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है, जिससे 8 करोड़ से अधिक डेयरी किसान सशक्त होते हैं।
- देश में डेयरी उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपये है, जो धान और गेहूं उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने लम्पी त्वचा रोग के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। परीक्षण में तेजी और पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाकर भी इस बीमारी पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय डेयरी क्षेत्र की विशेषताएं

भारतीय डेयरी क्षेत्र में छोटे किसानों की अधिकता है, इसके कारण इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान छोटे किसानों का है।

- देश में डेयरी सहकारी समितियों का विशाल नेटवर्क है, जो 2 लाख किसानों से जुड़े 2 लाख गांवों में फैले हुए हैं।
- इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बिचौलिये नहीं हैं; ग्राहकों से मिलने वाला 70 फीसदी से ज्यादा पैसा सीधे किसानों के पास जाता है।
- भारतीय डेयरी क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता यह है कि महिलाएं इस क्षेत्र में कार्यबल का 70 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। यह क्षेत्र 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है।

भारतीय डेयरी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां

देश की विशाल जनसंख्या के कारण दूध के उत्पादन की तुलना में इसकी मांग अधिक है; इस कारण मिलावट डेयरी उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती और खतरा है।

- देश में अनुत्पादक जानवरों की अत्यधिक संख्या है, जो उत्पादक डेयरी में पाले जाने वाले उत्पादक जानवरों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।
- औद्योगिक विकास के कारण हर साल चराई क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आ रही है, जिसके परिणामस्वरूप चारे की आपूर्ति में कमी हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

बैठक एवं सम्मेलन
- हिंद-प्रशांत आर्थिक मंच की मंत्री स्तरीय बैठक
- भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-बांग्लादेश कुशियारा नदी समझौता
- भारत-UAE संयुक्त आयोग की बैठक
- भारतीय विदेश मंत्री की सऊदी अरब यात्रा

मानचित्र के माध्यम से
- लाचिन कॉरिडोर

संधि एवं समझौते
- श्रीलंका और आईएमएफ के मध्य ऋण समझौता
- परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि

सूचकांक एवं रिपोर्ट
- जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट
- विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22: आईएलओ

अंतरराष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष
- शिनजियांग में मानवता के खिलाफ अपराध

संगठन एवं फोरम
- 7वां पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक

संक्षिप्तिकी
- विकास सहयोग पर नीति-बीएमजेड वार्ता
- इंडो-पैसिफिक त्रिपक्षीय ढांचा
- गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स से भारत-चीन के सेनाओं की वापसी

न्यूज बुलेट्स

बैठक एवं सम्मेलन

हिंद-प्रशांत आर्थिक मंच की मंत्री स्तरीय बैठक

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हिंद-प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क [Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)] की मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई।

मुख्य बिंदु

आईपीईएफ (IPEF) वार्ता के चार स्तंभ हैं- जिनमें से तीन स्तंभों 'आपूर्ति श्रृंखला', 'कर एवं भ्रष्टाचार विरोध' तथा 'स्वच्छ ऊर्जा' (Supply Chains, Tax & Anti-Corruption and Clean Energy) पर भारत सहमत है।

- परन्तु चौथे स्तंभ 'निष्पक्ष एवं लचीले व्यापार' (Fair & resilient trade) पर सहमति न बनने के कारण भारत ने इससे दूर रहने का फैसला किया है।
- भारत डिजिटल व्यापार और सार्वजनिक खरीद पर विकसित देशों द्वारा आरोपित की जाने वाली आवश्यक प्रतिबद्धताओं तथा समझौतों की शर्तों के प्रति आशंकित है।
- इसके साथ ही, विकसित देश व्यापार को पर्यावरण और श्रम मानकों से जोड़ना चाहते थे, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए व्यापार में कठिनाई उत्पन्न कर सकता था।
- भारत इस बैठक के अंत में जारी घोषणा के मूल पाठ पर सहमत था। IPEF सदस्य देशों के लिए वार्ता के चारों स्तंभों में भाग लेना अनिवार्य नहीं है; वह देशों को यह विकल्प प्रदान करता है कि वे किसका हिस्सा बनना चाहते हैं।

द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं

भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया तथा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता संपन्न की।

- भारत-अमेरिका व्यापार तथा निवेश संबंधों को और गहन बनाने के लिये दोनों देशों ने समयानुकूल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यूके व्यापार प्रतिनिधि दूत कैथरीन ताए से मुलाकात की तथा दोनों नेताओं ने खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिये अपने प्रयासों के प्रति संकल्प व्यक्त किया।
- हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक से अलग पीयूष गोयल ने वियतनाम के उद्योग एवं व्यापार मंत्री एनगुयेन हांग ड्येन से मुलाकात की तथा आपसी हितों के क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
- उन्होंने जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्री यासूतोशी निशीमूरा से भी मुलाकात की और भारत-जापान आर्थिक सहयोग में और तेजी लाने के लिये व्यापार, रोजगार विकास और आपसी हितों के क्षेत्रों को बढ़ाने पर चर्चा हुई।

इससे उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं?

आईपीईएफ वार्ता के चौथे स्तंभ 'निष्पक्ष एवं लचीले व्यापार' से दूर रहने का भारत का निर्णय ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण है।

पर्यावरण एवं जैव विविधता

जलवायु परिवर्तन
- शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हेतु निवेश की आवश्यकता
- 'ट्रिपल-डिप' ला नीना

सूचकांक एवं रिपोर्ट
- बायो-एनर्जी पर **IRENA** रिपोर्ट
- जलवायु वार्षिक स्थिति रिपोर्ट

पर्यावरण संरक्षण
- महासागरों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि
- स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस

जैव-विविधता
- रेड इयर्ड स्लाइडर कछुआ

आपदा प्रबंधन
- जलवायु क्षतिपूर्ति (Climate Reparation) की मांग

ऊर्जा एवं सतत विकास
- थर्मल पावर प्लांट के लिए मानदंडों का विस्तार
- ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप

संक्षिप्तिकी
- जिज्ञासा 2.0
- विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022
- स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम
- समुद्री खीरा फर्म एवं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र
- मिशन अमृत सरोवर

न्यूज बुलेट्स

जलवायु परिवर्तन

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हेतु निवेश की आवश्यकता

हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रूड द्वारा नई दिल्ली में 'गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो' (Getting India to Net Zero) रिपोर्ट जारी की गई।

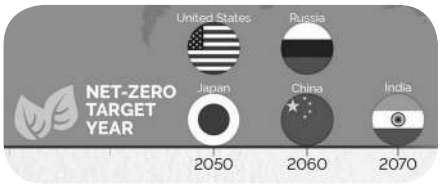

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने से भारत की अर्थव्यवस्था में 2036 तक सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित आधारभूत वृद्धि से 4.7 प्रतिशत अधिक वृद्धि हो सकती है।
- इसके कारण देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा 2047 तक 15 मिलियन नए रोजगार सृजित होंगे।
- भारत उत्सर्जन कम करने की अपनी वर्तमान नीतियों के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में 2015 में निर्धारित 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (Nationally Determined Contributions- NDC) लक्ष्यों को पूरा कर लेगा।
- भारत द्वारा किया जाने वाला उत्सर्जन 2030 तक अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है।
- वर्तमान में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर देश की निर्भरता अधिक है, परन्तु 2040 तक कोयले-जनित ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ संक्रमण शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में सहायक होगा।
- उत्सर्जन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को देखते हुए, पश्चिमी देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्त एवं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जाना महत्वपूर्ण है।

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन क्या है?

- शुद्ध शून्य उत्सर्जन एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें किसी देश के उत्सर्जन को, वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण तथा निराकरण के द्वारा क्षतिपूरित (compensated) किया जाता है। शुद्ध शून्य को 'कार्बन-तटस्थता' (carbon-neutrality) भी कहा जाता है।
- शुद्ध शून्य उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग न के बराबर होता है। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल काफी कम होता है।
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भविष्य में भारत द्वारा अधिकांश उत्सर्जन परिवहन, आधारभूत संरचना विकास, उद्योग आदि द्वारा होने की संभावना है।
- इसलिए शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को अपनाने से देश को एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था बनाने का अवसर मिलेगा।
- इस तथ्य को ध्यान में रख भारत सरकार शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emission) लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दे रही है।

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान
- इसरो की हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली
- इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर
- मार्स ऑक्सीजन इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट

रक्षा प्रौद्योगिकी
- स्टेल्थ फ्रीगेट 'तारागिरि'
- क्यूआर-सैम मिसाइल परीक्षण

स्वास्थ्य विज्ञान
- आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM) 2022

नवीन प्रौद्योगिकी
- भारत और यूके के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास

नैनो प्रौद्योगिकी
- नैनो यूरिया का व्यावसायिक उपयोग

जैव प्रौद्योगिकी
- रक्त कैंसर के इलाज के लिए CAR-T प्रौद्योगिकी

योजना एवं पहल
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
- डार्क स्काई रिजर्व

संक्षिप्तिकी
- साइबोर्ग कॉकरोच
- प्रोजेक्ट-75 इंडिया
- लीजियोनेलोसिस रोग
- विकिरण रोधी गोलियां

न्यूज बुलेट्स

अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान

इसरो की हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 20 सितंबर, 2022 को महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स (ISRO Propulsion Complex - IPRC) में हाइब्रिड मोटर (Hybrid Motor) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- यह परीक्षण इसरो के तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र [Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC)] के सहयोग से किया गया।

मुख्य बिंदु

- इस हाइब्रिड मोटर में ठोस ईंधन के रूप में 'हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन' (HTPB) और तरल ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग किया गया।
- ठोस-ठोस या द्रव-द्रव संयोजन के विपरीत, हाइब्रिड मोटर प्रणाली में ठोस ईंधन (solid fuel) और तरल ऑक्सीकारक (liquid oxidiser) का उपयोग किया जाता है।
- इस हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली में 30 केएन हाइब्रिड मोटर (30 kN hybrid motor) लगाया गया है तथा परीक्षण के दौरान इसने सफलतापूर्वक अपने कार्य को संपन्न किया।
- यह परीक्षण 300 मिमी. के साउंडिंग रॉकेट मोटर (Sounding Rocket Motor) पर 15 सेकंड की अवधि के लिए किया गया।
- पारंपरिक रूप से 'हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन' (HTPB) आधारित ठोस प्रणोदक प्रणाली में अमोनियम परक्लोरेट (Ammonium Perchlorate) को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता हैं।

महत्त्व

- इससे तरल ईंधन (LOX) की प्रवाह दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जो प्रणोदन प्रणाली को पुनः शुरू करने (re-start) में सक्षम बनाता है। प्रणोदन प्रणाली में तरल ईंधन का उपयोग थ्रॉटलिंग (throttling) की सुविधा प्रदान करता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार, हाइब्रिड प्रणोदन-आधारित प्रणाली का प्रयोग कर रॉकेट की लंबवत लैंडिंग कराई जा सकती है।
- हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली, पारंपरिक प्रणोदन प्रणाली की तुलना में अधिक हरित विकल्प मानी जा रही है, साथ ही यह अधिक सुरक्षित विकल्प भी है। इसरो की वर्तमान सफलता आगामी लॉन्च वाहनों के लिए एक नई प्रणोदन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।

इसरो प्रणोदन परिसर (IPRC)

- इसरो प्रणोदन परिसर, इसरो के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित प्रणोदन प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले इसे तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1 फरवरी, 2014 से यह इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स (IPRC) के रूप में जाना जाता है।
- यह अत्याधुनिक तकनीकी साजो-सामान से सुसज्जित है।
- वर्तमान में इस संस्था द्वारा पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III प्रक्षेपण यानों के लिए प्रणोदक इंजनों का परीक्षण किया जाता है। यह विभिन्न प्रक्षेपण यानों के लिए क्रायोजेनिक इंजनों का परीक्षण करने के साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्रक्षेपण यानों के लिए टर्बो पंप, इंजेक्टर, गैस जनरेटर आदि जैसी उप-प्रणालियों का एकीकरण तथा परीक्षण भी करता है।

सार्वजनिक नीति एवं कल्याणकारी योजनाएं

सरकार की नीतियां एवं योजनाएं नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को संबोधित करती हैं तथा सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना इनका मूल उद्देश्य होता है। सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में इनका अध्ययन बेहद जरूरी हो जाता है। सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में नीतियों एवं योजनाओं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रतियोगियों के लिए वर्ष 2021–22 में चर्चा में रही एवं शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं का परीक्षोपयोगी संकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही इस खंड में हम विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं भी प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि यह अध्ययन सामग्री राज्य–स्तरीय सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए भी लाभप्रद एवं अंकदायी साबित हो सके।

सामाजिक क्षेत्र की पहलें

शिक्षा से संबंधित पहलें 108
- पीएम–युवा योजना 108
- समग्र शिक्षा योजना 2.0 108
- पीएम ई विद्या योजना 109
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 109
- सार्थक पहल 110
- उन्नत भारत अभियान योजना 110
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 110

स्वास्थ्य 111
- आयुष्मान सहकार योजना 111
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–सेहत 112
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 112
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) -- 112
- चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना ... 113
- आहार क्रांति मिशन 114
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 114

महिला एवं बाल विकास 114
- राष्ट्रीय पोषण मिशन 114
- पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना 116
- मिशन वात्सल्य 117
- उज्ज्वला 2.0 117
- मिशन शक्ति योजना 118

ग्रामीण एवं शहरी विकास 118
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 118
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 118
- प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण 119
- प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 120
- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 120

संवेदनशील वर्गों हेतु योजनाएं 120
- सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना 120
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 121
- स्टैंड–अप इंडिया योजना 121
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 122
- डोनेट–अ–पेंशन योजना 122
- स्माइल योजना 123
- पीएम–दक्ष योजना 123
- सीड योजना 124
- नमस्ते योजना 125
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 125

अन्य योजनाएं 126
- आदर्श स्मारक योजना 126
- स्वदेश दर्शन 2.0 योजना 126

आर्थिक क्षेत्र की पहलें

- कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन 127
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 127
- प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना 127
- बीज मिनीकिट कार्यक्रम 128
- कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया नीति .. 128
- वन राशन वन कार्ड योजना 129
- प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना 129
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 129

- कृषि उड़ान 2.0 योजना.................................... 130

उद्योग एवं व्यापार.......................................130

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना...................... 130
- समृद्ध योजना... 131
- निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना................. 131
- मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना (मित्र योजना).....131
- रैम्प योजना... 132
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना....................... 133
- निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना.... 133
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना.... 134
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण योजना... 135

अवसंरचना एवं परिवहन................................136

- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)................. 136
- पीएम गति शक्ति योजना.................................. 136
- सड़क सुरक्षा के लिए गुड सेमेरिटन योजना.......... 137
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन............................. 137
- भारतनेट परियोजना.. 138
- दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना... 139
- न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना......139
- बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना...................... 139

आय, रोजगार तथा पेंशन...............................140

- वन रैंक वन पेंशन योजना................................. 140
- अटल पेंशन योजना.. 140
- स्वनिधि से समृद्धि योजना................................. 141
- अग्निपथ योजना.. 141

मुद्रा, बैंकिंग एवं वित्त..................................142

- मुद्रा योजना... 142
- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना..... 142
- कृषि अवसंरचना कोष की वित्त पोषण योजना..... 143
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 143
- आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना........................ 144
- स्पिन (स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया) योजना..144

कौशल विकास...145

- कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल..................................... 145
- मिशन कर्मयोगी... 145

क्षेत्रीय विकास 146

- एनसीआर 'मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041'............ 146
- जम्मू-कश्मीर हेतु नई औद्योगिक विकास योजना... 147

प्रौद्योगिकी विकास संबंधी पहलें

नवाचार प्रौद्योगिकी..148

- अटल इनोवेशन मिशन....................................... 148
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना............ 148
- इनोवेशन ऑफ साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च (इंस्पायर).. 149

महासागर प्रौद्योगिकी तथा जलवायु मिशन.......149

- ओ-स्मार्ट योजना.. 149
- राष्ट्रीय मानसून मिशन....................................... 150

नवीन प्रौद्योगिकी 150

- ड्रोन प्रमाणन योजना.. 150
- ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना.... 151
- अंत: विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन 151

रक्षा एवं अंतरिक्ष..152

- भुवन: इसरो का जियो-पोर्टल............................. 152
- युवा विज्ञानी कार्यक्रम (YUVIKA)-------------- 152
- रक्षा परीक्षण अवसंरचना (DTI) योजना............. 153
- पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना 153

बायोटेक तथा स्वास्थ्य 153

- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) --------------- 153
- बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क.....154
- मवेशी जीनोमिक्स योजना 155
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम...................... 155

पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 156

- नगर वन योजना.. 156
- चीता पुनर्वास परियोजना.................................... 156

जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन............157

- जलवायु लचीली सूचना प्रणाली का शुभारंभ........ 157
- पंचायती राज मंत्रालय की आपदा प्रबंधन योजना.. 157
- एक्रॉस योजना.. 158
- इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 159

नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपशिष्ट प्रबंधन..........160

- रूफटॉप सौर योजना 160
- ई-100 पायलट परियोजना................................ 161
- सहभागिता योजना... 161

विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं

उत्तर प्रदेश 162

- रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई और रोजगार संवर्द्धन नीति-2022... 162
- पंचामृत योजना... 162
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे....................................... 162
- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी......162
- खाद्य वन परियोजना.. 162
- स्कूल चलो अभियान.. 162
- वाराणसी रोप-वे परियोजना 163
- उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति-2022 का मसौदा 163
- उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030............. 163
- उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) मसौदा विधेयक 2021 163

- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना..... 163
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना..... 163
- परिवार कल्याण कार्ड..... 163
- उत्तर प्रदेश में पहली शिक्षा टाउनशिप..... 164

मधय प्रदेश.....164

- मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना..... 164
- संबल 2.0 योजना..... 164
- मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022..... 164
- सीएम राइज स्कूल योजना..... 164
- मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना..... 165
- एमएसएमई विकास नीति 2021..... 165

बिहार.....165

- युवाओं और महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना'..... 165
- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना..... 165
- ई-नारी शक्ति ऋण योजना..... 165
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना..... 165
- मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना..... 165
- संपत्ति स्वामित्व योजना..... 166
- बाल सहायता योजना..... 166
- जल जीवन मिशन (बिहार)..... 166
- ई निश्चय पोर्टल..... 166
- परिमार्जन पोर्टल..... 166

राजस्थान.....166

- राजस्थान महिला निधि..... 166
- आंचल अभियान..... 166
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना..... 166
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना..... 167
- राजस्थान ने अपनाया खेती सुगमता मॉडल..... 167

झारखंड.....167

- झारखंड की पर्यटन नीति 2021..... 167
- माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए खेल योजना..... 167

छत्तीसगढ़.....167

- ग्रामीण औद्योगिक पार्क..... 167
- मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ..... 167
- कौशल्या मातृत्व योजना..... 168
- छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन..... 168
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना 168
- मिलेट मिशन..... 168
- मुख्यमंत्री मितान योजना..... 168

दिल्ली.....168

- हैप्पीनेस उत्सव..... 168
- दिल्ली स्टार्ट-अप नीति..... 168
- सामुदायिक पार्क पहल..... 169
- दिल्ली फिल्म नीति 2022..... 169
- दिल्ली सरकार का 'बिजनेस ब्लास्टर्स' कार्यक्रम... 169
- देश के मेंटर कार्यक्रम..... 169

उत्तराखंड.....169

- बाल वाटिका..... 169
- मोदी सर्किट..... 169
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना..... 169
- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना..... 170

हिमाचल प्रदेश.....170

- हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022..... 170
- नारी को नमन योजना..... 170
- हिमाचल प्रदेश में रोपवे परियोजनाएं..... 170

हरियाणा.....170

- चिराग योजना..... 170
- ई-अधिगम योजना..... 170
- खेल नर्सरी योजना 2022-23..... 171
- हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल..... 171
- ऑक्सी-वन योजना..... 171
- प्राण वायु देवता पेंशन योजना..... 171
- हर हित स्टोर योजना..... 171

गुजरात.....171

- मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना..... 171
- गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27..... 171
- गुजरात की नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27... 172
- आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा..... 172
- सेवा सेतु कार्यक्रम..... 172

कर्नाटक.....172

- फ्रूट सॉफ्टवेयर..... 172
- स्वास्थ्य और कल्याण ऐप **'AAYU'----------172**
- काशी यात्रा योजना..... 172
- सांस अभियान..... 172
- 'जनस्पंदन' योजना..... 173
- 'जनसेवक' योजना..... 173

केरल.....173

- स्मार्ट किचन योजना..... 173
- केरल स्टार्ट-अप मिशन ने लॉन्च किया 'डिजिटल हब'..... 173
- हरिता कर्म सेना..... 173

महाराष्ट्र.....173

- महाराष्ट्र जिव्हाला योजना..... 173
- महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना..... 174
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021..... 174
- कोंकण आपदा शमन कार्यक्रम..... 174

तेलंगाना.....174

- नेथन्ना बीमा योजना..... 174
- 'दलित बंधु' योजना..... 174
- देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग प्रणाली..... 174

सामाजिक क्षेत्र की पहलें

शिक्षा से संबंधित पहलें

पीएम-युवा योजना

29 मई, 2021 को नई शिक्षा नीति-2020 के दिशा-निर्देशों के तहत सरकार द्वारा युवा लेखकों के लिए पीएम-युवा योजना (PM-YUVA Scheme) प्रारंभ की गई थी।

- **नोडल मंत्रालयः** शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आरम्भ।
  - **नेशनल बुक ट्रस्ट को** भारत मेंटरशिप के सुपरिभाषित चरणों के तहत इस योजना के चरण-वार **निष्पादन की जिम्मेदारी** दी गई है।
- **उद्देश्यः** इसका उद्देश्य पढ़ने-लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- यह युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने वाली योजना है। युवा का पूर्ण रूप **Young Upcoming and Versatile Authors-YUVA** है।
- यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु के) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। यह **भारत@75 परियोजना** (आजादी का अमृत महोत्सव) का हिस्सा है।
- यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतत्रंता सेनानियों, अज्ञात और बिखरे हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका तथा अन्य विषय वस्तुओं पर युवा लेखकों के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए शुरु की गई है।
- संस्कृति और साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने हेतु अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।

समग्र शिक्षा योजना 2.0

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 अगस्त, 2021 को संशोधित समग्र शिक्षा योजना (Revised Samagra Shiksha Scheme) को 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को अपनी मंजूरी दी।

- **कवरेजः** इस योजना में 11 लाख 60 हजार विद्यालय, 15 करोड़ 56 लाख से अधिक छात्र तथा सरकार एवं सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के 57 लाख शिक्षक (पूर्व-प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक) शामिल होंगे।
- **वित्तीय परिव्ययः** 2,94,283.04 करोड़ रुपये।

- **नोडल मंत्रालयः** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
- **उद्देश्यः** स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना तथा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक खाई को पाटना।

समग्र शिक्षा योजना 2.0 की विशेषताएं

संशोधित समग्र शिक्षा योजना में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर** निम्नलिखित नई विशेषताएं शामिल की गई हैं:

- योजना की पहुंच में वृद्धि करने के लिए सभी बाल केंद्रित लाभ, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT Mode) के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान किए जाएंगे।
- योजना में **भाषा शिक्षक (Language Teacher) की नियुक्ति** का एक नया घटक जोड़ा गया है; साथ ही शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण के घटक और द्विभाषी पुस्तकें और शिक्षण सामग्री दी जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की योजना 'निष्ठा' (NISHTHA)** के तहत विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किये गए हैं।
- सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning Materials), स्वदेशी खिलौने और खेल आधारित गतिविधियों के लिए प्रति बालक/बालिका 500 रुपये तक का प्रावधान किया गया है।
- **प्री-प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक** (सीनियर सेकेंडरी) तक के स्कूलों के **बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर** ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि इसके पहले प्री-प्राइमरी को योजना से बाहर रखा गया था।
- स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर 16 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS)/राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के माध्यम से उनके माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा कराने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों को प्रति छात्र 2000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

समग्र शिक्षा योजना के बारे में

- ☆ भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत पहल- **'समग्र शिक्षा योजना'** लांच की थी।
- ☆ समग्र शिक्षा योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें **प्री-स्कूल (pre-school) से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।**
- ☆ यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में स्वीकार करती है और यह **शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG-4) के अनुरूप** है।
- ☆ यह 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA), 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (RMSA) और 'शिक्षक शिक्षा' (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है। योजना की पहुंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और बच्चों तक है। योजना में शहरी वंचित बच्चों, समय-समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से प्रभावित बच्चों तथा दूरदराज और छिटपुट आबादियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान दिया गया है।